



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01012020-215056

CG-DL-E-01012020-215056

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड(ii)

PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं.4219]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 31, 2019/पौष 10, 1941

No.4219]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 31, 2019/PAUSHA 10, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2019

आय-कर

का. आ.4721 (अ).— भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) की अधिसूचना सं. 77/2019 दिनांकित 3 अक्टूबर, 2019 जोकि संख्या का. आ. 3597(अ) दिनांकित 3 अक्टूबर, 2019 के माध्यम से भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में पृष्ठ 30 पर अनुसूची में:-

(i) कॉलम (2) के अंतर्गत प्रविष्टि में क्रमांक संख्या 462 के समक्ष शब्दों एवं आंकड़ों “आयकर अधिकारी (आरईएसी) (निर्धारण इकाई)-2(1)(2), बेंगलुरु” के स्थान पर “आयकर अधिकारी (आरईएसी) (सत्यापन इकाई)- 2(1)(2), बेंगलुरु” प्रतिस्थापित किया जाए।

[अधिसूचना सं. 108 /2019/फा.सं. 187/7/2019-आईटीए-1]

गुलज़ार अहमद वानी, अवर सचिव